ISSN 2395-051X

भारतीय राजनीतिक दल अंर्तनिहित विसंगतियाँ एवं समाधान

डॉ. अंशु सोनी
सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की विशिष्ट भूमिका है। राजनैतिक दलों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर अपने शासन का संचालन करती है। देश की राजनीति के संचालन में राजनैतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल विचारों, अभिमतों तथा पद्धतियों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, वे नागरिकों और सरकार के बीच तथा मतदाता और प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दल वैकल्पिक नीतियों के गुण एवं दोषों से नागरिकों को न केवल अवगत कराते हैं वरन् उन्हें राजनीतिक शिक्षा भी देते हैं। वास्तव में एक स्वस्थ दलीय व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता हेतु अत्यंत आवश्यक है।

किंतु वर्तमान समय में भारत के सभी राजनीतिक दल अनेक समस्याओं और विसंगतियों से अंर्तग्रसित हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक विकास पर पड़ रहा है।

हमारे संविधान में कहीं भी राजनैतिक पार्टियों का उल्लेख नहीं है और दल बदल अधिनियम में भी इसकी व्याख्या को छोड़ दिया गया है। संगठन के अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। स्वतंत्रता से वर्तमान तक भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है। निर्वाचन आयोग में 7 राष्ट्रीय और 59 राज्यीय दलों के सहित 2293 दल पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में अनेक दलों के द्वारा राजनीतिक एकता के साथ विकास के लक्ष्यों को पाने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं जिनसे सभी परिचित हैं।

1996-98 के काल से भारतीय राजनीति में जैसे दलों की बाढ़ सी आ गयी है और इन दलों द्वारा स्वार्थ आधारित राजनीति का परिणाम निरंतर राजनीतिक अस्थायित्वता, दल-बदल, घूसखोरी, सांसदों-विधायकों की खरीद फरोख्त, चुनावी अपव्यय, वोट की राजनीति, नेताओं की राजनैतिक चरित्रहीनता, और राजनीतिक अपराधीकरण के रूप में सामने आया है। इस प्रकार बहुदलीयता, लोकतंत्र के विकास और संसदीय शासन के सफल संचालन में बाधक बन रही है।

लोकसभा सहित, राज्य विधान सभाओं में स्पष्ट बहुमत के अभाव में गठबंधन सरकारें राजनीतिक वाध्यता के रूप में सामने हैं। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री पी.ए. संगमा के शब्दों में - ''हम गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह कुछ कारणों से हुआ है जैसे राजनीतिक दलों के पतन, लोगों का राजनीतिक दलों के प्रति कम होता विश्वास, चुनाव के प्रति उदासीनता, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों और नेताओं के उदय के कारण हुआ है।

राजनीतिक दलों में सहयोग और तालमेल का अभाव है। उनमें फूट, गुटबाजी तथा अवसरवादिता की प्रवृत्ति वढ़ती जा रही है। आज राजनीति में जातियता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषावाद और वर्गवाद का वोलवाला हो गया है। तथा सिद्धांत, नैतिकता, विचारधारा के बंधन दुर्बल हुए हैं। भारत के सभी राजनीतिक

दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। यहाँ राजस्थान विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हरिशंकर भामड़ा का कथन ध्यातव्य है कि "हम चाहते तो यह थे कि हिन्दुस्तान में राजनीतिक पार्टियाँ अपनी नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़े और आम जनता को शिक्षित करें कि हमारे यह कार्यक्रम हैं और इस प्रकार से हम देश का विकास करना चाहते हैं। यह होने की बजाय उल्टा हो गया। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव का आधार जातिगत हो गया, क्षेत्रीयवाद हो गया, भाषावाद हो गया, वर्गवाद हो गया और उसमें से कार्यक्रम और नीतियाँ हट गई, उसके कारण यह दल-बदल की प्रक्रिया ज्यादा शुरू हुई।

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सामान्य राष्ट्रीय उद्देश्यों की परिभाषा पहले की अपेक्षा अधिक विभाजित हैं। विश्वास एवं नेतृत्व की कमी है। राजनेता संकीर्ण दलीय एवं क्षेत्रिय हितों और तुच्छ राजनीतिक लाभों की इच्छा के कारण विस्तृत सामान्य राष्ट्रीय उद्देश्यों पर सहमत नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन के पवित्र उद्देश्यों का पहले की अपेक्षा अधिक क्षरण हुआ है। और आज की राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लाभ में परिवर्तित हो गयी हैं, सत्ता प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य बन गया है।

राजनीतिक दलों की एक मुख्य कमी यह है कि राजनीतिक दलों के आचरण, चंदा एकत्रित करने की वैधानिकता, लेखापरीक्षण एवं लेखा आवश्यकताओं एवं दलों में आंतरिक प्रजातंत्र संबंधी कोई विधि नहीं है।

विगत तीन-चार दशकों से देश के राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति की स्पर्धा के जोर पकड़ने के साथ ही राजनीतिक प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया है। लगभग सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र नाम भर ही शेष बचा है। उनमें पार्टी के संविधान में वर्णित बुनियादी प्रावधानों के अनुपालन का अभाव, सालों तक संगठनात्मक चुनाव नहीं कराना और जबाबदेही का अभाव होना मुख्य कमियाँ या दोष हैं।

राजनीतिक दलों द्वारा उनके संगठनात्मक एवं चुनावी खर्चों हेतु एकत्रित की गयी निधि में अधिकांश हिस्सा आपराधिक तत्वों का है। आज राजनीतिक दलों का 'माफियाकरण' हो गया है राजनीतिक दलों द्वारा बड़ी संख्या में अपराधिक छवि वाले लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाता है ताकि वे धनबल, बाहुबल के आधार पर चुनाव में जीत हासिल कर उन्हें सत्ता तक पहुँचा सके। 1996 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इंडिया टुडे में लिखा है - "किसी भी अपराध का नाम लीजिए और आपको एक-न-एक सांसद मिल सकता है जिसके ऊपर उसका आरोप लगा हेागा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। चुनाव में रिकार्ड 435 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी खड़े हुए थे। उनमें से 27 तो संसद में भी पहुँच गए। इस सूची में 14 सांसदों के साथ भाजपा सबसे ऊपर है, हालांकि उनमें से ज्यादातर छोटे-मोटे मामलों के आरोपी हैं। सपा के पास आपराधिक रिकार्ड वाले सात सांसद हैं जिनमें से चार हिस्ट्रीशीटर हैं, कांग्रेस में एक और बसपा के तीन सांसदों के नाम आपराधिक मामलों से जुड़े हैं।" धन शक्ति एवं आपराधिक तत्वों का सार्वजनिक जीवन के मूल्यों का क्षरण एवं राजनीतिक अपराधिकरण में योगदान है, जिसका प्रभाव सरकारों तथा शासन प्रक्रिया पर परिलक्षित हो रहा है।

राजनीतिक दलों में वंशवाद की प्रवृत्ति का वर्चस्व स्थापित हो गया है। राजनीतिक दलों में महिलाओं की सहभागिता अब भी बहुत कम है।

इस प्रकार वर्तमान राजनैतिक प्रदूषण के लिए मुख्यतः राजनीतिक दलों में व्याप्त कमियाँ विसंगतियाँ जिम्मेदार हैं। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में राजनीतिक दलों के इस प्रकार के अवमूल्यन को उचित नहीं कहा जा सकता, यह लोकतंत्र को खोखला बना रहा है अतः इस दिशा में त्वरित समाधान की आवश्यकता है।

ISSN 2395-051X

समाधान

राजनीतिक दलों के संबंध में विस्तृत विधायन होना चाहिये जिसे राजनीतिक दल (पंजीकरण एवं नियंत्रण) अधिनियम कहा जा सकता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक गठबंधनों के पंजीकरण एवं कार्यपद्धति के नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिये।

प्रत्येक दल के विभिन्न स्तरों पर तीन वर्षों के अंतराल में नियमित चुनाव, संगठनात्मक स्तर के विभिन्न पदों हेतु एवं संसदीय और राज्य विधानसभा की सीटों हेतु दिये जाने वाले टिकटों पर 30 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण/प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिये। ऐसा करने में विफल होने पर दंड के रूप में दल की मान्यता समाप्त कर दी जानी चाहिये।

विधि द्वारा, दलों द्वारा प्राप्त किये गये चंदे का लेखा और खर्चों के व्यवस्थित एवं नियमित रखरखाव की अनिवार्यता की जानी चाहिये। विधायन द्वारा सृजित स्वतंत्र निकाय द्वारा दलों के लेखा के अनिवार्य संपरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये। इस निकाय द्वारा दलों की वित्तीय स्थिति के साथ-साथ संपरीक्षित लेखा की रिपोर्ट तैयार की जाये जो कि जनता को उपलब्ध हो और जिसका सार्वजनकि अध्ययन एवं निरीक्षण किया जा सके।

चुनाव के समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी परिसम्पत्ति एवं दायित्वों की घोषणा के साथ-साथ अपने नजदीकी संबंधियों की परिसम्पत्ति एवं दायित्वों की भी घोषणा करना अनिवार्य होना चाहिए। तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी या निर्वाचन तत्काल निरस्त किया जाये।

निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मानदंड निर्धारित किये जाने चाहिये जिससे छोटे राजनीतिक दलों को हतोत्साहित किया जा सके। केवल ऐसे दल अथवा चुनाव पूर्व राजनीतिक दलों के गठबंधन जो कि राष्ट्रीय दलों अथवा गठबंधनों के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत है, को लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु चुनाव चिह्न आबंटित किया जाये। राज्य दलों को राज्य विधानमंडलों और राज्य विधान परिषदों (राज्यसभा) के चुनाव लड़ने हेतु चुनाव चिह्न आबंटित किये जा सकते हैं।

दलों के पंजीकरण हेतु नियमों एवं उपनियमों में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित होने चाहिये -

1. आंतरिक दल संगठनों में प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं संविधान के मानों के पालन संबंधी घोषणा।
2. राजनीतिक लाभ हेतु हिंसा के प्रयोग से दूर रहने की घोषणा।
3. राजनीतिक गतिशीलता हेतु जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता की सहायता न लेने एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के पालन की घोषणा।
4. निचले स्तर तथा राज्य स्तर पर दलों के सम्मेलन में राजनीतिक पदों हेतु उम्मीदवारों के नामांकन एवं चयन संबंधी प्रावधान।
5. आचरण संहिता (प्रत्येक राजनीतिक दल सवयं अपनी आचार संहिता बनाये)।
6. राष्ट्र के समक्ष महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर विचार एवं अनुसंधान हेतु कुछ संस्थागत प्रणाली और दलों के विभिन्न वर्गों के समाजीकरण एवं उन्हें प्रशासन के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु तैयार करने के लिये शैक्षणिक विभाग (यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने सदस्यों को राजनीतिक प्रबंधन, विधायन प्रक्रिया, नेतृत्व कला आदि के आधुनिक साधनों और तकनीकों में प्रशिक्षण देने के महत्व को समझें)।

7. दलीय पदों एवं विधायिका के चुनावों में उम्मीदवारी हेतु महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी विधिक प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी।

राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीतिक दलों हेतु प्रस्तावित विधि में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि कोई भी राजनीतिक दल किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिये समर्थन अथवा टिकट नहीं देगा, यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध हेतु दोषी ठहराया गया है अथवा यदि न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध आरोप निर्धारित किये गये हैं। विधि में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि यदि कोई दल इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे उम्मीदवार को आयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और दल के पंजीकरण को निरस्त एवं उसकी मान्यता को वापिस ले लिया जायेगा।

राजनीतिज्ञों के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित अपराधिक प्रकरण अथवा अपीलों का त्वरितत निराकरण किया जाना चाहिये, यदि आवश्यक हो तो विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए।

वर्तमान में राजनीतिक दलों को आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त चंदे की राशि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अधिनियम हैं। राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली चंदे की राशि एवं चुनाव खर्च को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न विधियों को समेकित कर एक विस्तृत विधायन पारित किया जाना चाहिये। नवीन विधि का उद्देश्य राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली चंदे की राशि में पारदर्शिता लाना होना चाहिये। विधि द्वारा निगमित दलों के संबंध में उच्च सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और इसमें पारदर्शिता रखी जानी चाहिए। विधि द्वारा राजनीतिक निधि में दानदाता और दानग्रहीता दोनों के उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान होने चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों के साथ ही राजनैतिक दलों की विसंगतियों से लोकतंत्र को मुक्त करने के लिए देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा जब नागरिक सोच-समझकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा तभी देश का विकास होगा।

सन्दर्भ

1. प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, देश की दशा और रीढ़विहीन राजनीति, दैनिक भास्कर, भोपाल, 10 अगस्त 2001, पृ. क्र. 4
2. सी.के. जैन, ''जनप्रतिनिधियों की भूमिका, विधानमंडल में और विधानमंडल के बाहर'' विधायनी, अक्टूबर-दिसंबर 1992, पृ. 77
3. विश्वेंद्र मेहता, संसदीय प्रणाली में उभरती घातक प्रवृत्तियाँ, नवभारत, भोपाल, रविवारीय अंक, 24 अगस्त 2003, पृ. 1
4. प्रो. पी. डी. शर्मा, पचास साल और पाँच चुनौतियाँ, दैनिक भास्कर, भोपाल, 26 जनवरी 2001, पृ. 15
5. पी.ए. संगमा, तीसरी सहस्त्राब्दी में प्रवेश, एक अध्यक्ष की दृष्टि में, लोकसभा नई दिल्ली, 1999, पृ. 77
6. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी एवं डॉ. एम.पी. राय, भारतीय सरकार एवं राजनीतिक, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2002, पृ. 208
7. Review of the working of the constitution, Report of the National Commission to Review the working of the constitution, volume-II, Vigyan Bhavan, New Delhi, March 2002.